

16

9  
22

पत्रावली पेशा हुई। वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित।  
 न्यायालय में बार-बार आवाज लगावने के बावजूद  
 सायं 5.00 बजे तक वादी एवं वादी वकील में से कोई  
 उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम बाजिरी एवं  
 पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली अदम  
 पैरवी में फैलल थुमार होकर रजिस्टर से कम  
 की जावे। वाद पूर्ति दफ्तर दाखिल हो।

SDO